विपणन संघ

# म0प्र0 राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित
## मुख्यालय, जहांगीराबाद, भोपाल

TIN- 23024101648
PAN-AABAT4628H

E-mail : gmagri.pesti@gmail.com
Ph : 0755-2678483

क्रमांक/उपार्जन/ 2007 /2017 भोपाल दिनांक : 06/06/2017

प्रति

जिला विपणन अधिकारी
म0प्र0 राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित
भोपाल, सीहोर, विदिशा, राजगढ़, रायसेन, हरदा
इन्दौर, खण्डवा, बड़वानी, धार, झाबुआ, उज्जैन, देवास
मंदसौर, नीमच, रतलाम, शाजापुर, आगरमालवा
सागर, टीकमगढ़, शिवपुरी/खरगोन

विषय : किसानो से प्याज खरीदी के संबंध में।

संदर्भ : अपर मुख्य सचिव सह कृषि उत्पादन आयुक्त म0प्र0 शासन का पत्र क्रं/ एफ15–19 /201715–1 भोपाल दिनांक 05.06.2017

प्रदेश की मंडियो में घटती हुयी बाजार दरों एवं किसानो को हो रहे हानि को दृष्टिगत रखते हुये राज्य शासन द्वारा बाजार हस्तक्षेप (Market Intervention) करते हुये प्याज क्रय करने का निर्णय लिया गया है। अतः किसानो से प्याज खरीदी हेतु संदर्भित पत्र के माध्यम से जारी किये गये निर्देशो की प्रति **(परिशिष्ट–1)** पर संलग्न है। खरीदी हेतु शासन द्वारा निर्धारित किये गये खरीदी केन्द्रो की जिलावार सूची उक्त पत्र के साथ संलग्न है।

प्रदेश में शासन द्वारा निर्धारित 22 जिलो के 48 खरीदी केन्द्रो पर प्याज की खरीदी का कार्य संपादित किया जाना है। प्याज की खरीदी हेतु निम्नानुसार निर्देशो का अनुपालन सुनिश्चित किया जावे :–

1. शासन द्वारा प्याज के क्रय हेतु नोडल एजेंसी विपणन संघ को नियुक्त किया गया है। प्याज क्रय उपरांत परिवहन, तत्कालीन भण्डारण तथा उचित मूल्य दुकानो के माध्यम से विक्रय का कार्य म0प्र0 स्टेट सिविल सप्लाई कार्पो0 द्वारा किया जावेगा। उपार्जन केन्द्र से सिविल सप्लाई कार्पो0 के अधिकृत परिवहनकर्ता द्वारा तीव्र गति से परिवहन कार्य किया जावे। परिवहन कार्य की मानीटरिंग सततरूप से की जावे। परिवहन कार्य/नान के परिदान में किसी प्रकार की कठिनाई होने पर तत्काल जिला कलेक्टर के संज्ञान में लाकर निराकरण सुनिश्चित किया जावे।

2. किसानो से प्याज का क्रय 8/– रू. प्रतिकिलो की दर से दिनांक 05.06.2017 से प्रारंभ होकर 30.06.2017 तक किया जावेगा।

3. जिले में प्याज की खरीदी किसानो से ही हो इस हेतु जिला कलेक्टरो द्वारा जिला स्तर पर शासन निर्देशानुसार निगरानी कमेटी गठित की जावेगी। जिला स्तर पर निगरानी कमेंटी का गठन तत्काल कराया जावे। जिलावार खरीदी केन्द्रो की सूची **(परिशिष्ट –2)** पर संलग्न है। खरीदी केन्द्रों की जानकारी एवं राज्य शासन की योजना का किसानो के बीच पर्याप्त प्रचार प्रसार जिला प्रशासन के मार्गदर्शन में सुनिश्चित किया जावे।

4. कृषकों से गुणवत्ता स्तर की प्याज कय की जावे, सड़ीगली एवं खराब प्याज किसी भी स्थिति में कय नहीं की जावे।

5. गुणवत्ता निर्धारण हेतु जिलास्तरीय एवं खरीदी केन्द्र स्तर पर पृथक–पृथक समिति का गठन जिला कलेक्टर के निर्देशानुसार तत्काल गठित करावें। जिलास्तरीय समिति में संबंधित सहयोगी विभागों का प्रतिनिधित्व हो सके इसका ध्यान रखा जावे यथा उपायुक्त सहकारिता, मण्डी समिति, उप/सहायक संचालक उद्यानिकी, जिला आपूर्ति अधिकारी, जिला प्रबंधक नागरिक आपूर्ति निगम इत्यादि। इसी प्रकार खरीदी केन्द्र स्तर पर अनुविभागीय अधिकारी राजस्व की अध्यक्षता में गुणवत्ता निर्धारण हेतु समिति का गठन कराया जावे, साथ ही खरीदी केन्द्र पर उद्यानिकी विभाग एवं मण्डी समिति के मैदानी अधिकारियों की पदस्थी गुणवत्ता नियंत्रण हेतु जिला कलेक्टर से कराई जावे।

6. कय प्याज की गुणवत्ता इस स्तर की हो कि वे कम से कम 15 दिन तक भण्डारण /परिवहन आदि में खराब न हो, ताकि कय प्याज के विकय/निराकरण हेतु 15 दिन का समय प्राप्त हो सके।

7. किसानो से कय की गयी प्याज का भुगतान आरटीजीएस, एनईएफटी के माध्यम से जिला विपणन अधिकारी/उपार्जन समिति द्वारा किये जावेंगे इस हेतु किसानो को प्याज कय के समय कृषक से घोषणा–पत्र संलग्न **(परिशिष्ट –3)** अनुसार प्राप्त किया जावे, जिसके साथ बैंक पासबुक की छायाप्रति भी प्राप्त की जावे। उनके बैंक का नाम, खाता कमांक एवं आईएफएससी कोड लाने हेतु पर्याप्त प्रचार प्रसार किया जावे। उक्त जानकारी किसानो से प्राप्त करते समय स्पष्ट एवं पठनीय ही प्राप्त की जावे, ताकि कृषको के खातो में सही सही भुगतान किया जाना संभव हो सके। इस हेतु कृषको से उक्त जानकारी प्राप्त करते समय उसका पूर्ण परीक्षण/अवलोकन कर प्राप्त किया जावे।

8. प्याज की खरीदी कार्य हेतु एजेन्ट समिति का निर्धारण जिला कलेक्टर से कराये जाने हेतु तत्काल कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे। प्याज खरीदी कार्य विपणन समिति/पेक्स के माध्यम से कराया जावे। तदाशय की जानकारी निर्धारित प्रारूप में संयुक्त हस्ताक्षर से मुख्यालय को निर्धारित प्रारूप में प्रेषित की जावे। **(परिशिष्ट –4)** पर संलग्न है।

9. खरीदी केन्द्र हेतु प्याज आवक के अनुसार मण्डी समितियों के प्रांगण में मण्डी शेडों में खरीदी मात्रा अनुरूप पर्याप्त एवं सुरक्षित स्थान मण्डी समिति द्वारा उपलब्ध कराया जावेगा।

10. खरीदी केन्द्रो पर प्याज की तुलाई हेतु इलेक्ट्रानिक तौल कांटा उपलब्ध कराने में आवश्यक सहयोग मंडी समिति द्वारा प्रदान किया जावेगा। समितियों द्वारा गेहूँ उपार्जन कार्य में किये जा रहे तौल कांटो का उपयोग भी किया जा सकेगा। तौल काटो का परीक्षण आवश्यक रूप से नाप तौल विभाग से करा लिया जावे ताकि कम ज्यादा तौल के संबंध में किसी प्रकार के विवाद की स्थिति निर्मित न हो।

11. यह भी संभव है कि खरीदी केन्द्रो पर भारी मात्रा में आवक होने पर प्याज की तुलाई का कार्य इलेक्ट्रानिक तौल काटे से न किया जाकर मण्डी परिसर में उपलब्ध धर्मकॉटा से तौल कराये जाने की दशा में भरी एवं खाली ट्राली की तौल कराते समय पर्याप्त सावधानी रखी जावे। इस हेतु एक–एक बार में परिस्थिति अनुसार 5 से

10 ट्रालियो को छोड़कर उनकी तौल उपरांत अगली ट्रालियो को तौल हेतु छोड़ा जावे।

12. खरीदे गये प्याज को भरने हेतु जालीदार बारदाने का उपयोग किया जावे। जालीदार बारदाने की खरीदी जिला कलेक्टर के अनुमोदन से सुनिश्चित की जावे। इस हेतु अधिकतम 10/- रू प्रतिनग बारदाना की कीमत से अधिक न हो को ध्यान में रखा जाकर न्यूनतम दरो पर बारदाना कय कर उपयोग किया जावे।

13. कृषको से उनकी उपज तौलकर बारदाने में जितनी मात्रा आ सकती है उतनी मात्रा भरकर तौल पत्रक तैयार किया जावे। सामान्यतः बारदाने में 40-60 किलो तक प्याज बारदाने की साइज के आधार पर प्याज की मात्रा आती है। प्याज खरीदी में समान भरती किया जाना व्यवहारिक दृष्टि से संभव नहीं होने के कारण नान को परिदान असमान भर्ती में ही किया जावेगा। बारदाने में भरी प्याज को वायु प्राप्त हो सके इस हेतु बारदाने की क्षमता से कुछ कम मात्रा भरी जावे।

14. खरीदे गये प्याज के बोरो को सिलाई उपरांत मण्डी शेड में थप्पी लगाकर रखा जावे एवं खरीदी का कार्य इस प्रकार किया जावे कि खरीदे गये मात्रा के बोरो को नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा तत्काल परिवहन कराकर यथा स्थान पर परिवहन कराया जाना सुनिश्चित किया जावेगा।

15. प्याज खरीदी कार्य हेतु जिला विपणन अधिकारी 30 जून 2016 तक की अवधि के लिये आवश्यकतानुसार कलेक्टर दर पर कर्मचारी रखने के लिये अधिकृत होंगे।

16. प्याज खरीदी हेतु संबंधित समिति द्वारा किसानवार, खरीदी पंजी का संधारण निर्धारित प्रारूप में किया जावेगा जो कि **(परिशिष्ट-5)** पर संलग्न है। प्याज खरीदी हेतु प्रासंगिक व्यय निम्नानुसार देय होगा, जिसका निर्धारण जिला कलेक्टर से कराया जावे। :-

1 किसान की ट्राली से खुले प्याज को बोरो में भरकर/लादकर काटे पर रखना/तौल उपरांत बोरो के मुह की सिलाई कर थप्पी लगाना, की मजदूरी मण्डी समितियो द्वारा निर्धारित दर /प्रचलित दरों का निर्धारण जिला कलेक्टरों से कराया जावे, जो कि 12 रू. प्रति क्विंटल से अधिक न हो।

2 धर्मकॉटे से तुलाई होने की दशा में तुलाई का व्यय मण्डी समिति के धर्मकॉटे की निर्धारित दर से देय होगा। धर्मकॉटे पर तोल की दशा में मण्डी समिति के तुलावटियो को पृथक से तुलाई व्यय देय नहीं होगा। तोले गये स्कंध को सीधे बोरो में भरकर थप्पी लगायी जावे।

3 नान को परिदान करते समय तौलकर शतप्रतिशत परिदान दिया जावे। नान की परिवहन दरो में ट्रक भराई एवं तुलाई का व्यय सम्मिलित होने से इस कार्य हेतु पृथक से व्यय देय नहीं होगा।

4 कृषकों से कय मात्रा की पावती विकित प्याज की मात्रा एवं राशि अंकित कर कृषक को निर्धारित प्रारूप **(परिशिष्ट-6)** में प्रदान की जावे ।

17. जिला विपणन अधिकारी प्रतिदिन सायंकाल 5 बजे अपने मण्डल प्रबंधक के माध्यम से प्याज की दैनिक एवं प्रगतिशील खरीदी की जानकारी ई-मेल से निर्धारित प्रारूप **(परिशिष्ट-7)** संलग्न अनुसार मुख्यालय प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें।

18. प्याज खरीदी हेतु शासन की इस योजना का व्यापक प्रचार प्रसार किया जावे। इस हेतु जिला कलेक्टर के माध्यम से जनसंपर्क विभाग के स्थानीय अधिकारियों का सहयोग प्राप्त किया जावे। खरीदी केन्द्रो पर बड़े अक्षरो में बैनर/फ्लेक्स लगाये जावे। जिले की सभी मण्डियो में खरीदी केन्द्रो की सूची का प्रकाशन भी किया जावे। मानक बैनर का प्रारूप **(परिशिष्ट–8)** पर संलग्न।

19. खरीदी केन्द्रो पर अधिक संख्या में किसान आने की स्थिति में प्राथमिकता के कम टोकन आदि की सुसंगत व्यवस्था पंजी संधारित की जाकर मण्डी समिति के द्वारा की जावे। खरीदी केन्द्रो पर किसानो को पीने के साफ पानी, छायेदार स्थान, प्राथमिक चिकित्सा संबंधी मूलभूत सुविधाए मण्डी समिति द्वारा उपलब्ध करायी जावेंगी। आसन्न मानसून की स्थिति को दृष्टिगत रखते हुये कय किये जा रहे स्कंध की सुरक्षा हेतु तिरपाल आदि की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जावे। खरीदी का समस्त कार्य अपने सर्वोत्तम विवेक से इस प्रकार संपादित किया जावे ताकि कृषक बंधुओ को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े।

20. खरीदी समिति को देय कमीशन संबंधी निर्देश पृथक से जारी किये जावेंगे।

(ज्ञानेश्वर बी0पाटील)
प्रबंध संचालक

प्रतिलिपिः– 2007 /06.6.17

1. कलेक्टर संबंधित .................... जिला समस्त।
2. संभाग आयुक्त राजस्व संभाग ............... समस्त।
3. प्रबंध संचालक, म0प्र0 राज्य सहकारी बैंक मर्यादित भोपाल।
4. प्रबंध संचालक, म0प्र0 राज्य वेयर हाउसिंग एण्ड लॉजिस्टिक्स कारपोरेशन ।
5. प्रबंध संचालक, म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड, अरेरा हिल्स भोपाल ।
6. आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएँ, म0प्र0।
7. प्रमुख सचिव म0प्र0 शासन, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोगता संरक्षण विभाग।
8. प्रमुख सचिव म0प्र0 शासन,उधानिकी विभाग।
9. प्रमुख सचिव म0प्र0 शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग।
10. प्रमुख सचिव म0प्र0 शासन, सहकारिता विभाग।
11. प्रमुख सचिव (समन्वय) म0प्र0 शासन, मुख्य सचिव कार्यालय।
12. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, म0प्र0 शासन।

प्रबंध संचालक

परिशिष्ट-1

मध्यप्रदेश शासन
सहकारिता विभाग
मंत्रालय, भोपाल

क्रमांक एफ15-19/2017/15-1 भोपाल, दिनांक 05.06.2017

प्रति,

कलेक्टर,
जिला ..................(समस्त)
मध्यप्रदेश

विषय:- किसानों से प्याज खरीदी के संबंध में।

---

उपरोक्त विषयांतर्गत प्रदेश की मंडियों में प्याज की घटती हुई दरों एवं किसानों को हो रही हानि को दृष्टिगत रखते हुए शासन द्वारा बाजार हस्तक्षेप (Market Intervention) करते हुए प्याज क्रय करने का निर्णय लिया गया है। अत: किसानों से प्याज खरीदी हेतु निम्नानुसार निर्देश जारी किये जाते है :-

1- प्याज के क्रय हेतु नोडल एजेंसी मार्कफेड होगी तथा क्रय उपरांत परिवहन, तत्कालीन भंडारण तथा उचित मूल्य दुकानों के माध्यम से विक्रय का कार्य स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन के द्वारा किया जाएगा।

2- किसानों से प्याज 08/- रू. प्रतिकिलो की दर से क्रय किया जावेगा।

3- प्याज का क्रय 5 जून से प्रारंभ होकर 30 जून 2017 तक किया जावेगा।

4- प्याज के खरीदी केन्द्रों की जिलावार सूची पत्र के साथ <u>संलग्न</u> है।

5- प्याज की खरीदी किसानों से ही हो, इस हेतु जिला स्तर पर निगरानी कमेटी गठित किया जाना सुनिश्चित करें।

6- खरीदी केन्द्रों की जानकारी एवं राज्य शासन की इस योजना का किसानों के बीच पर्याप्त प्रचार प्रसार किया जावे।

7- प्याज क्रय करते समय खरीदी केन्द्रों से यह सुनिश्चित किया जाए कि प्याज की गुणवत्ता ऐसी हो कि वह कम-से-कम 15 दिन तक भंडारण, परिवहन आदि में खराब न हो, जिससे उसे विक्रय करजे हेतु 15 दिन का समय मिल जाए।

8- किसानों को प्याज खरीदी का भुगतान आरटीजीएस /एनईएफटी के माध्यम से जिला विपणन अधिकारी/ उपार्जन समिति द्वारा किए जायेगें। इस हेतु किसानों को प्याज विक्रय के समय उनके बैंक का नाम, खाता क्रमांक एवं IFSC कोड लाने हेतु पर्याप्त प्रचार प्रसार किया जावे।

5.6.17

(प्रेमचंद मीना)

अपर मुख्य सचिव सह
कृषि उत्पादन आयुक्त
मध्य प्रदेश शासन

पृष्ठां.क्र. एफ15-19/2017/15-1 भोपाल, दिनांक 05.06.2017

प्रतिलिपि:-

1. अपर मुख्य सचिव, म.प्र. शासन वित्त विभाग।
2. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, म.प्र. शासन।
3. प्रमुख सचिव (समन्वय), म.प्र. शासन मुख्य सचिव कार्यालय।
4. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, सहकारिता विभाग।
5. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग।
6. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, उधानिकी विभाग।
7. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, खाध, नागरिक आपूर्ति एवं उप. संरक्षण विभाग।
8. आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएं, म.प्र.।
9. संभागायुक्त (समस्त), म.प्र.।
10. प्रबंध संचालक, म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड, अरेरा हिल्स भोपाल।
11. प्रबंध संचालक, म.प्र. राज्य वेयर हाउसिंग एण्ड लॉजिस्टिक्स कारपोरेशन।
12. प्रबंध संचालक, म.प्र. राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित भोपाल।
13. प्रबंध संचालक, म.प्र. राज्य सहकारी बैंक मर्यादित भोपाल।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

5.6.17

अपर मुख्य सचिव सह
कृषि उत्पादन आयुक्त
मध्य प्रदेश शासन

परिशिष्ट-2

## प्याज खरीदी केन्द्रों की सूची

| क्रमांक | जिला | खरीदी केन्द्र |
|---|---|---|
| 1. | भोपाल | 1. भोपाल<br>2. बैरसिया |
| 2. | सीहोर | 3. सीहोर<br>4. आष्टा |
| 3. | विदिशा | 5. गंजबासौदा |
| 4. | राजगढ | 6. ब्यावरा<br>7. सारंगपुर |
| 5. | रायसेन | 8. रायसेन |
| 6. | हरदा | 9. हरदा |
| 7. | इंदौर | 10. इंदौर<br>11. सांवेर |
| 8. | खंडवा | 12. खंडवा |
| 9. | खरगौन | 13. खरगौन |
| 10. | बडवानी | 14. बडवानी<br>15. सैंधवा |
| 11. | धार | 16. धार<br>17. बदनावर<br>18. धामनौद |
| 12. | उज्जैन | 19. उज्जैन<br>20. तराना<br>21. नागदा<br>22. बडनगर<br>23. खाचरोद<br>24. महिदपुर |

| | | |
|---|---|---|
| 13 | देवास | 25. देवास<br>26. कन्नौद<br>27. सोनकच्छ<br>28. हाटपिपल्या |
| 14 | मंदसौर | 29. मंदसौर<br>30. शामगढ<br>31. गरोठ<br>32. भानपुरा<br>33. पिपल्या |
| 15 | नीमच | 34. नीमच |
| 16 | रतलाम | 35. रतलाम<br>36. जावरा |
| 17 | शाजापुर | 37. शाजापुर<br>38. शुजालपुर<br>39. अकोदिया<br>40. मोमन बडोदिया |
| 18 | आगर मालवा | 41. सुसनेर<br>42. बडोद<br>43. आगर<br>44. नलखेडा |
| 19 | सागर | 45. सागर |
| 20 | शिवपुरी | 46. शिवपुरी |
| 21 | झाबुआ | 47. पेटलावद |
| 22 | टीकमगढ | 48. टीकमगढ |

परिशिष्ट –3

## कृषक का घोषणा पत्र

मैं श्री/श्रीमति ............................................... आत्मज श्री/पति ........................... ग्राम ..................................................... तहसील ........................... जिला ..................(म0प्र0) का निवासी हूँ। मैं घोषित करता हूँ कि ग्राम .......................................... में मेरी स्वयं की भूमि में से खसरा कमांक ................................ में प्याज की उपज ली गयी है व स्वयंके स्वामित्व की भूमि पर उत्पादित की गयी है का विकय उपार्जन केन्द्र पर किया जा रहा है। विकय किये गये प्याज की राशि का भुगतान मेरे द्वारा नीचे दिये गये विवरणानुसार बैंक खाते में किया जावे :–

| क्रं | विवरण | विवरण |
|---|---|---|
| 1 | नाम | |
| 2 | पता | |
| 3 | बैंक शाखा का नाम | |
| 4 | बैंक शाखा का स्थान | |
| 5 | बैंक खाता कमांक (इलेक्ट्रानिक ट्रांसफर की आवश्यकतानुसार) | |
| 6 | IFSC कोड | |

संलग्न बैंक पासबुक की स्वच्छ/पठन योग्य छायाप्रति।

मैं घोषित करता/करती हूँ की मेरे द्वारा उक्त दी गयी जानकारी पूर्णतः सत्य है/अस्तय पाये जाने की दशा में मै स्वयं उत्तदायी रहूंगा।

हस्ताक्षर ................................

नाम..........................................

परिशिष्ट –4

**म0प्र0 राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित**
**जिला कार्यालय ........................**

विपणन संघ

प्याज उपार्जन कार्य हेतु नामांकित एजेन्ट समितियां

| क्र. | खरीदी केन्द्र | एजेन्ट समिति का नाम |
|---|---|---|
| 1 | | |
| 2 | | |
| 3 | | |

जिला विप0 अधिकारी    जिला आपूर्ति अधिकारी    उपायुक्त (सहकारिता)    कलेक्टर

परिशिष्ट "5"

# खरीदी केन्द्र पर प्याज खरीदी हेतु रखे जाने वाले रजिस्टर का प्रारूप

| जिले का नाम :............................... | | | | खरीदी केन्द्र का नाम ....................................... | | | | खरीदी दिनांक ........................................... | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| क0 | कृषक का नाम | ग्राम | किसान से खरीदी गयी मात्रा (क्वि0 में) | कृषक के खाते का विवरण | | | | भुगतान का विवरण | | | रिमार्क |
| | | | | बैंक का नाम | शाखा का नाम | IFSC कोड | खाता कमांक | चैक क0 | RTGS/ NEFT दिनांक | राशि | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

खरीदी केन्द्र प्रभारी

परिशिष्ट –6

विपणन संघ

**म0प्र0 राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित**
**जिला कार्यालय ........................**

खरीदी केन्द्र .................. जिला ..........

पावती

दिनांक ........................

किसान का नाम ..........................................................

पिता का नाम ..............................................................

गांव का नाम ...............................................................

विकित प्याज की मात्रा ..............................................

विकित प्याज की राशि ...............................................

किसान के हस्ताक्षर

केन्द्र प्रभारी के हस्ताक्षर

विपणन संघ

# मध्यप्रदेश राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित, ................

## रबी विपणन वर्ष 2017-18 में प्याज खरीदी की दैनिक जानकारी का पत्रक

दिनांक ——— (मात्रा क्वि0 में, राशि लाख में) परिशिष्ट-7

| क0 | संभाग | जिला | खरीदी केन्द्र | प्रगतिशील कृषक संख्या | आज की खरीदी | | प्रगतिशील खरीदी | | किसानों को भुगतान राशि | किसानों की बकाया राशि | मुख्यालय से प्रदाय राशि | शेष राशि |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | मात्रा | राशि | मात्रा | राशि | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 9-10=11 | 12 | 12-10=13 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | योग | | | | | | | | | | | |

हस्ताक्षर
सहायक/लेखाधिकारी

हस्ताक्षर
जिला विपणन अधिकारी

परिशिष्ट –8

विपणन संघ

# म0प्र0 राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित

जिला कार्यालय ........................

## शासन द्वारा निर्धारित प्याज खरीदी केन्द्र

### प्याज का निर्धारित क्रय मूल्य रू. 8/– प्रति किलो

किसान बन्धुओं से अनुरोध है कि खरीदी केन्द्र पर प्याज विक्रय हेतु लाते समय अपनी बैंक खाता क्रमांक एवं आई0एफ0एस0सी0 कोड हेतु पास बुक या चेक बुक अनिवार्य रूप से साथ में लावें। गीली सड़ी, गली प्याज क्रय नहीं की जावेगी।

जिला विपणन अधिकारी
जिला ................................